न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 12/21 **निर्णय दिनांक** 20.01.23

1. मेघाराम पुत्र श्री कानाराम जाति जाट गोदारा निवासी सुरतसिंहपुरा तहसील व जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

–बनाम–

1. उदाराम
2. मूलाराम
3. केशूराम
4. मगनाराम

पुत्रगण स्व. कानाराम जाति जाट गोदारा निवासी सुरतसिंहपुरा तहसील व जिला बीकानेर।

5. भोजा पुत्री स्व. श्री कानाराम पत्नि चेतनराम जाति जाट निवासी बासी तहसील व जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आरटीए
व 39 नियम 2 ए एवं धारा 151 जाब्ता दीवानी

उपस्थितः–

1. श्री मेघाराम गोदारा, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नवीन सारस्वत, अभिभाषक अप्रार्थीगण

–निर्णय–

1. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09–07–2021 का अप्रार्थीगण द्वारा उल्लंधन किया गया है के विरुद्व इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आरटीए व 39 नियम 2 ए एवं धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत पेश किया है।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 8.61 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 0.2500 हेक्टर, खेत खसरा नम्बर 162 रकबा 5.97 हेक्टर भूमि सुरतसिंहपुरा में स्थित है। उक्त भूमि जो कि एक संयुक्त खाते की अविभाजित कृषि भूमि है के विभाजन हेतु वाद–पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 10–11–2020 को प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना –पत्र खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील दिनांक 09–07–2021 को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश की पालना में सभी पक्षो को अराजी जैर के बाबत यथास्थिति कायम रखी जानी चाहिए थी परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है तथा निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट रूप से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 09–07–2021 की अवमानना की जा रही है।

उन्होने आगे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अराजी जैर पर प्लॉट काटकर उसका स्वरूप बदलकर आवासीय मकान निर्मित करते हुए आदेश जैर की अवहेलना की जा रही है जबकि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात् आवासीय प्लॉट काटे जा रहे है। अप्रार्थीगण का कहना है कि हम न्यायालय के आदेशको नहीं मानते है, न्यायालय हाजा की अवमानना की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगण ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश को ना मान कर न्यायिक आदेश की अवमानना की है। इसलिए अप्रार्थीगण न्यायालय की अवमानना के दोषी होने से दण्डित किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण को न्यायालय की अवमानना के कारण दण्डित किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते की भूमि है जिस पर विभाजन से पूर्व सभी पक्षकारो का स्वामित्व व कब्जा माना जाता है। व सभी पक्षकार अपने अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज रहते हुए काश्त करते आ रहे है। न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 09–07–2021 के माध्यम से मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये थे उक्त आदेश की अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की अवहेलना/अवमानना नही की जा रही है। अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्से की भूमि पर पूर्व से भी व वर्तमान में भी काश्त करते आ रहे है। जहा तक प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आवासीय प्लॉट काटे जा रहे है इस संबंध में कोई प्रमाण/दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष अवमानना प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अवमानना साबित नही कर सकते है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के अनुसरण में ही कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा अदालतवाला के किसी आदेश की अवहेलना करना अप्रार्थीगण की मंशा नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–07–2021 की अवमानना/अवहेलना करने के कारण उक्त अवमानना प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत इस आधार पर किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 8.61 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 0.2500 हेक्टर, खेत खसरा नम्बर 162 रकबा 5.97 हेक्टर भूमि सुरतसिंहपुरा में स्थित उक्त भूमि बाबत न्यायालय हाजा दिनांक 09–07–2021 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित जैर एक दूसर के कब्जा में दखल अंदाजी करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा आवासीय प्लॉट काटते हुए अकृषि कार्य किया जा रहा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है इस संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना–पत्र के साथ व अपने कथन के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी प्रमाण यथा मौका रिपोर्ट, फोटोग्राफस, आस–पडौस के बयान या अन्य कोई सबुत जो प्रार्थीगण के कथन का समर्थन करता हो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर प्रस्तुत अवमानना पत्र पर किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.01.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

20/1/2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर